भारतीय स्टेट बैंक

स्थानीय प्रधान कार्यालय, 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

सार्वजनिक सूचना

भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली 01.01.2026 से 31.12.2029 की अवधि के लिए मूल्यंकनकर्ताओं को सूचीबद्ध (एमपैनलमेंट) करने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। मूल्यांकनकर्ताओं की नीचे दी गई श्रेणियों में से कोई भी मूल्यांकनकर्ता, सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों :

ए. दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत मूल्यांकलनकर्ता, जिन्हें भारत सरकार, कंपनी मामलों का मंत्रालय की दिनांक 18.10.2017 की अधिसूचना के अनुसार कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता तथा मूल्यांकन), नियम 2017 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए, और

बी. मूल्यांकनकर्ता, धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 34एबी के अंतर्गत पंजीकृत (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन/सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मूल्यांकनकर्ता) होना चाहिए

सी. उपर्युक्त (ए) और (बी) के अलावा मूल्यांकनकर्ता

मूल्यांकनकर्ता निम्नलिखित श्रेणियों में पैनलबद्ध किए जाएंगे :

(i) सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मूल्यांकनकर्ता

(ii) सरफेसी अधिनियम, 2002 के अलावा मूल्यांकनकर्ता (आईबीबीआई के साथ पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं सहित)

बैंक के साथ पहले से सूचीबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं को, यदि उनका पिछला एमपैनलमेंट **3 वर्ष से पुराना हो चुका है अर्थात 31.12.2025 को अथवा उससे पूर्व समाप्त हो रहा है, तो उन्हें भी नए सिरे से आवेदन करना होगा।**

मूल्यांकनकर्ता अपने आवेदन, निर्धारित प्रारूपों में, संबंधित अनुलग्नक/दस्तावेज़ आदि सहित, संवीक्षा, संस्तुति एवं उपयुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने हेतु दिनांक 01.09.2025 तक अपनी निकटतम व्यवसाय इकाई / शाखा में जमा करवा दें।

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर "SBI in the News- Show more" देखें।

एमपैनलमेंट के किसी भी नियम में संशोधन करने तथा बिना किसी सूचना के विज्ञापन को वापस लेने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।

State Bank of India

Local Head Office, 11, Sansad Marg, New Delhi-110001

PUBLIC NOTICE

State Bank of India, Local Head Office, Delhi invites applications for empanelment of Valuers for the period 01.01.2026 to 31.12.2029. Any of the below mentioned categories of Valuers, may apply for empanelment as valuers, subject to the fulfillment of eligibility criteria.

a. Registered Valuers under the provision of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016,who ought to be registered under the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules 2017, as per the notification dt. 18.10.2017 of Govt. of India,Ministry of Company Affairs, and
b. Valuers registered under section 34AB of the Wealth Tax Act, 1957 (valuers under SARFAESI Act, 2002)
c. Valuers other than (a) and (b) above.

The empanelment of valuers shall be in the following categories:

(i) Valuers under SARFAESI Act, 2002
(ii) Valuers other than under SARFAESI Act, 2002, (including valuers registered with IBBI)

The valuers already on the Bank's panel have also to apply afresh if their last empanelment is older than 03 years i.e. expiring on or before 31.12.2025

The valuers shall submit their applications in the prescribed formats alongwith relevant enclosures/documents etc., to the nearest business units / branches etc. by 01.09.2025 for further scrutiny, recommendation and submission to appropriate authority.

For details, please visit "SBI in the News- Show more" section under our official website www.sbi.co.in.

Bank reserves the right to amend/modify any terms and conditions of empanelment and withdraw the advertisement without any notice.